अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18.11.2025 को VC के माध्यम से जांच एवं गुणवत्ता नियंत्रण इकाई अंचल /प्रमंडल/प्रयोगशाला के कार्यालय द्वारा किए जा रहें गुणवत्ता कार्य की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही –

बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुएः–

सभी अधीक्षण अभियंता,	जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, अंचल(मुजफ्फरपुर को छोड़कर)
सभी कार्यपालक अभियंता,	जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमंडल,(सीतामढ़ी को छोड़कर)
सभी सहायक अभियंता,	जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रयोगशाला (छपरा–1, शेरघाटी, रजौली, बिक्रमगंज, डेहरी, अरवल, लखीसराय, खड़गपुर–तारापुर, मुंगेर, मंझौलबखरी, त्रिवेणीगंज, वीरपुर, महनार, बेनीपट्टी एवं दरभंगा–1 को छोड़कर)

<u>बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विमर्श किया गयाः–</u>

1. सर्वप्रथम बैठक में नवसृजित कार्यालय स्थापना संबंधित कार्य की समीक्षा की गयी जिसमें श्री राहुल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, लेखा शाखा (मेल –jsecrwd@gmail.com, मो0 नं0– 9003167152) द्वारा स्पष्ट किया गया कि कुल नवसृजित जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल(06) /प्रमंडल (22) द्वारा कार्यालय CFMS से Mapped है तथा 108 जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में से 74 प्रयोगशालाओं द्वारा कार्यालय स्थापना से संबंधित CFMS Mapping की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की गयी है। श्री राहुल द्वारा कार्यालय स्थापना से संबंधित प्रस्तुतीकरण दिया गया। अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता नियंत्रण कोषांग द्वारा यह निदेश दिया गया कि 15 पंद्रह दिनों के अंदर श्री राहुल से संपर्क स्थापित कर CFMS mapping की कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण कर इसकी सूचना निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण कार्यालय के ई0 मेल आई0डी– rwdtqc@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें। (**अनुपालनार्थ– संबंधित सहायक अभियन्ता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला**)
2. अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता नियंत्रण कोषांग द्वारा सभी जाँच पदाधिकारी को स्पष्ट किया गया कि विभागीय निर्गत दिशा–निर्देश पत्रांक 4620 दिनांक 23.08.2025 के आलोक में मात्र 64 पथों से संबंधित जाँच प्रतिवेदन MIS पर अपलोड किया गया। जिसमें 30 पथों का जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में नहीं होने के कारण अस्वीकार्य है। सभी जाँच पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि विभागीय विहित प्रपत्र में न्यूनतम 20 पथों/पुलों का जाँच प्रतिवेदन प्रत्येक माह MIS पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि निर्माणाधीन पथ/पुल में प्रत्येक

अवयव/घटक की विस्तृत जानकारी परिलक्षित हो सके। **(अनुपालनार्थ– सभी अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल/प्रमंडल/प्रयोगशाला)**

3. सभी कार्यपालक अभियन्ता, कार्य प्रमंडल को अपने प्रक्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन पथ/पुल का Physical progress MIS पर update कराने एवं जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण इकाई से संबंधित जाँच पदाधिकारी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता को पथ/पुलों के निरीक्षण कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निदेश दिया गया।**(अनुपालनार्थ– सभी कार्यपालक अभियन्ता, कार्य प्रमंडल)**

4. समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा पूर्व में आंवटित ATR निराकरण एवं परिवाद(सी0एम डैश बोर्ड/माननीय/ग्रामीणों द्वारा) जाँच कार्यों का निष्पादन कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा नहीं किया गया है। अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता नियंत्रण कोषांग द्वारा निदेश दिया गया कि सात दिनों के अंदर जाँच कार्य कराकर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**(अनुपालनार्थ– सभी संबंधित जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल/प्रमंडल)**

5. सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला/प्रमंडल/अंचल द्वारा बताया गया कि कार्यबल के कमी रहने के कारण जाँच कार्य करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग द्वारा स्पष्ट किया गया कि IT Manager, LDC/UDC, JE/TS उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई मुख्यालय स्तर से की जा रही है। IT Boy की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सभी **जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण इकाई से अधियाचना की मांग** पत्रांक 5810 दिनांक 11. 11.2025 **की गयी है।** सभी सहायक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला को चार पहिया वाहन की सुविधा की अनुमति कार्यालय पत्रांक 5809 दिनांक 11.11.2025 द्वारा दी गयी है **(अनुपालनार्थ– क्षेत्रीय मुख्य अभियंता–1, 2,3,4,5 एवं 6 तथा प्रशाखा–4 एवं 8)**

6. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सहरसा एवं मढ़ौरा द्वारा VC के माध्यम से बताया गया कि जिन सहायक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला को दो प्रयोगशालाओं का प्रभार दिया गया है, उनके द्वारा मात्र एक प्रयोगशाला में ही कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग द्वारा निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में अतिरिक्त प्रभार में सहायक अभियंता उस प्रक्षेत्र में भी कार्य करना सुनिश्चित करें।

7. सभी अधीक्षण अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, अंचल एवं सभी कार्यपालक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल को निदेश दिया गया कि अपने प्रक्षेत्राधीन गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के द्वितीय स्तर पर कार्यरत जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रयोगशालाओं द्वारा गुणवत्ता

जांच कार्य की समीक्षा कर पक्षीय प्रतिवेदन प्रत्येक माह के दिनांक 13 एवं 28 को मेल आई0डी– rwdtqc@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग द्वारा बताया गया कि मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक 15 दिन के अन्तराल पर VC के माध्यम से जाँच कार्यों की समीक्षा की जायेगी। BSWAN द्वारा जुड़ने हेतु प्रबंधक निदेशक, बेल्ट्रॉन से जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण इकाई, अंचल/प्रमंडल/प्रयोगशाला को Login Password दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक – मु0अ0(नि0 एवं गु0नि0)विविध कार्य–06–165/24 5903 पटना, दिनांक – 22/11/25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव/सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक – मु0अ0(नि0 एवं गु0नि0)विविध कार्य–06–165/24 5903 पटना, दिनांक – 22/11/25

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक – मु0अ0(नि0 एवं गु0नि0)विविध कार्य–06–165/24 5903 पटना, दिनांक – 22/11/25

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियन्ता/सभी अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल/सभी कार्यपालक अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक – मु0अ0(नि0 एवं गु0नि0)विविध कार्य–06–165/24 5903 पटना, दिनांक – 22/11/25

प्रतिलिपि– सभी अधीक्षण अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमंडल/सभी सहायक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्तानियंत्रण प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/11/25

अभियंता प्रमुख–सह–

अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक – मु0अ0(नि0 एवं गु0नि0)विविध कार्य–06–165/24 5903 पटना, दिनांक 22/11/25

प्रतिलिपि– IT मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/11/25

अभियंता प्रमुख–सह–

अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव